

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
गया।

पटना, दिनांक 09-10-2017

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0013-सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड-20-2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतनादि ईकाईयों में कुल ₹30,00,000/- (तीस लाख रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-18(7)ब दिनांक-15.05.17, 24(7)ब दिनांक-31.05.17, 56(7)ब दिनांक-07.09.17, 73(7)ब दिनांक-25.09.17 एवं 81(7)ब दिनांक-25.09.17 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतनादि ईकाईयों में कुल ₹30,00,000/- (तीस लाख रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।


3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0013-सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड-20-2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सामग्री एवं पूर्तियों, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सदर अस्पताल के अधीक्षक होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं सदर प्रमंडलीय अस्पतालों में कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी। एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।




2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन की बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रेषित विपत्र में भी अंकित करेंगे ।
9. इससे अवमाननावाद संख्या-1674/2012 में हुए न्याय निर्णय के आलोक (अभ्युक्ति में दिये गये सूची अनुसार) में भुगतान किया जायेगा, अगर राशि की कमी होती है तो संबंधित संस्थान में उपलब्ध राशि से जोड़कर भुगतान करें । भुगतान उपरान्त राशि के बचत होने की स्थिति में इस शीर्ष के आवश्यकता आधारित भुगतान भी किया जा सकता है । भुगतानोपरान्त राशि की कमी होने पर अतिरिक्त राशि की मांग विभाग से करेंगे ।
10. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
11. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव




ज्ञापांक : 84(7)0


पटना, दिनांक : 09-10-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-03, 07/ आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव



विवरण

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बिहार स्थित सदर अस्पताल/अनुमंडल अस्पताल/ सदर प्रमंडलीय अस्पतालों (विपत्र कोड-20-2210011100013) का वेतन भत्ता मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन 8	अभ्युक्ति
								अवमाननावाद संख्या 1674/2012 में हुए आदेश के आलोक में भुगतान हेतु 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गया	1200000	1440000	324000	12000	24000	3000000	श्रीमती कुन्ती सिन्हा, पत्नी स्व० डा० यदुनन्दन प्रसाद सिन्हा, सेवानिवृत्त अनुमंडलीय अस्पताल, शेरघाटी, गया
	कुल	1200000	1440000	324000	12000	24000	3000000	

(तीस लाख) रु. मात्र

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0013-01-01)	1014647000	928800000	1200000	930000000	84647000
2	जीवन यापन भत्ता (0013-01-03)	1420505000	1298640000	1440000	1300080000	120425000
3	मकान किराया भत्ता (0013-01-04)	507323000	462468000	324000	462792000	44531000
4	परिवहन भत्ता (0013-01-05)	411000	305000	0	305000	106000
5	चिकित्सा भत्ता (0013-01-06)	8954000	8107600	12000	8119600	834400
6	अन्य भत्ता (0013-01-07)	20292000	18438000	24000	18462000	1830000
7	त्यौहार अग्रिम (0013-01-08)	1000000	0	0	0	1000000
	योग 20-2210.01.110.0013.01 वेतन	2973132000	2716758600	3000000	2719758600	253373400
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0013-06-01)	2500000	1277724	0	1277724	1222276
9	यात्रा व्यय (0013-11-01)	2530000	1490000	0	1490000	1040000
10	कार्यालय व्यय (0013-13-01)	9006000	9006000	0	9006000	0
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0013-13-02)	3930000	2105000	0	2105000	1825000
12	दूरभाष (0013-13-03)	5000000	2885000	0	2885000	2115000
13	विद्युत प्रभार (0013-13-04)	58520000	53406000	0	53406000	5114000
14	विधि प्रभार (0013-13-05)	1000000	674367	0	674367	325633
15	वर्दी/ पोषाक (0013-13-06)	997000	913000	0	913000	84000
16	विद्युत प्रभार डी.पी.एस. (0013-13-07)	1000	0	0	0	1000
17	किराया महसूल एवं कर (0013-14-01)	1810000	1785000	0	1785000	25000
18	प्रशिक्षण व्यय (0013-20-03)	27000000	0	0	0	27000000
19	सामग्री एवं पूर्तियों (0013-21-01)	27000000	13570000	0	13570000	13430000
20	दवा भंडार (0013-21-02)	395000000	285650000	0	285650000	109350000
21	आहार/ पथ्य (0013-21-03)	220000000	106221900	0	106221900	113778100
22	लघु कार्य (0013-27-01)	1000	0	0	0	1000
23	अनुक्षण एवं मरम्मत (0013-27-02)	50000000	0	0	0	50000000
24	सविदा सेवाएँ (0013-28-02)	1100656000	836644500	0	836644500	264011500
25	मशीने एवं उपस्कर (0013-52-01)	127600000	52250580	0	52250580	75349420
	कुल योग:-	5005683000	4084637671	3000000	4087637671	918045329

841709
09-10-17

सरकार के विशेष सचिव

9/10/17
विपत्र